



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी आदेश को हुई 02 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त आदेश पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम एलम थाना कांघला जनपद शामली के विरुद्ध थाना रमाला पर मु0अ0सं0 252/2001 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आदेश को 02 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत



आरक्षी है0का0 रवि कुमार कोर्ट पैरोकार थानारमाला

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.07.2025

**थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/2025 धारा
115(2)/352/351(3)/110 BNS से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.07.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी गौरव पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. राहुल 2. अंकुर 3. मुन्दर उर्फ मुनदेर 4. अंकित उर्फ माटु पुत्रगण कालूराम निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों व धारदार हथियार से मारपीट की, जिससे उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया एवं जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 131/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110 BNS पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110 BNS से

सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल पुत्र कालूराम निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री युद्धवीर सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।
- 2- है०का० 560 ओंकार सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 16.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 221/25 धारा 109/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15-07-2025 को थाना खेकडा पर वादी प्रिंस पुत्र राज सिंह निवासी ग्राम डगरपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. तरुण उर्फ रॉकी पुत्र दिलराज निवासी ग्राम निठोरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 2. प्रशान्त पुत्र नामालूम निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा



वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, जिससे वादी बाल-बाल बच गया तथा गाली-गलौच की गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 221/25 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 221/25 धारा 109/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

नोट- उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 3(5)/55 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

तरुण उर्फ राँकी पुत्र दिलराज निवासी ग्राम निठोरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त तरुण का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 383/24 धारा 115/351(2)/352 बीएनएस थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री संजय सिंह पूनिया थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2.उ०नि० श्री भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3.है०का० 299 रामकुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4.है०का० 733 योगेश थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5.का० 213 दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 16.07.25

थाना खेकड़ा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता -

अभियुक्त सापे पुत्र गुलाम शेख निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री संजय सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2.का० 213 दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनांक 16.07.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा 109/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18-06-2025 को थाना रमाला पर आवेदक श्री अंशुल पुत्र मुकेश निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.पारस मलिक 2.प्रथम मलिक निवासीगण सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे वह बाल-बाल बच गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 174/25 धारा 109/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 174/25 धारा 109/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-

पारस मलिक पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम सिलाना थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2- है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।
- 3-का0 1061 अनुराग थाना रमाला जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना सिंघावली अहीर दिनांक 16.07.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 L-टाइप नट कील बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 L-टाइप नट कील बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 253/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र नफीस निवासी विशाल कॉलोनी कस्बा मीरापुर थाना मीरापुर जनपद मुज्जफरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर।
- 01 L-टाइप नट कील।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.है०का० 429 सिहराज नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.एचजी 704 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

